रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2008/श्रावण 28, 1930
No. 453] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2008/SRAVANA 28, 1930

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 602(अ).—जबकि भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर नई दिल्ली में 16 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर हुए थे; और 17 अप्रैल, 2008 को मिंस्क में संधि के अनुसमर्थन दस्तावेज का आदान-प्रदान हुआ था और जो संधि अनुच्छेद 21 के अनुसार 17 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हो गयी है और जिस संधि में निम्नलिखित का प्रावधान है:

भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद 'पक्ष' कहा गया है:

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण हेतु अतिरिक्त प्रावधान बनाते हुए अपराध का दमन करने में दोनों देशों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद सहित अन्य अपराधों का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक है;

निम्नलिखित अनुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद - एक

प्रत्यर्पण का कर्तव्य

दोनों पक्ष इस संधि के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत होते हैं, जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया गया हो अथवा सिद्धदोष ठहराया गया हो, चाहे यह अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने के पहले अथवा बाद में किया गया हो और साथ ही यदि यह अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया हो और अनुरोधकर्ता पक्ष अपने न्यायाधिकार का आधार अपराधी की राष्ट्रीयता को बनाता है ।

अनुच्छेद - दो

सक्षम प्राधिकरण

भारत गणराज्य का सक्षम प्राधिकरण विदेश मंत्रालय होगा और बेलारूस गणराज्य का सक्षम प्राधिकरण अभियोजक का कार्यालय होगा ।

अनुच्छेद - तीन

प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण अपराध ऐसे आचरण से बनता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतगर्त कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दिए जाने योग्य है ।

2. प्रत्यर्पण अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सकता है यदि उसे छह माह अथवा इससे अधिक की अवधि के लिए कैद अथवा कैद के किसी अन्य स्वरूप की सजा दी गयी हो।

3. कोई अपराध तब तक भी प्रत्यपर्णीय अपराध हो सकता है यदि वह कराधान व राजस्व से संबंधित है अथवा पूरी तरह से राजकोषीय स्वरूप का है।

अनुच्छेद- चार
संघटित अपराध

इस संधि के अनुसरण में किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण अपलब्ध होगा चाहे वांछित व्यक्ति द्वारा उक्त स्वरूप का आचरण पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में किया गया हो, यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत उक्त आचरण और इसके प्रभाव अथवा इसके इच्छित प्रभाव को समग्र रूप में प्रत्यर्पण अपराध माना जाता है।

अनुच्छेद- पांच
राजनैतिक अपराध अपवाद

1. प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है वह राजनैतिक स्वरूप का हो।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध माना जाएगा:

(क) उन अंतरराष्ट्रीय संधियों/अभिसमयों के अंतर्गत आने वाले अपराध जिनके दोनों देश पक्ष हैं;

(ख) हत्या;

(ग) मानव बध अथवा गैर-इरादतन हत्या;

(घ) हमला, जिसके कारण वास्तविक शारीरिक क्षति अथवा चोट पहुंची हो अथवा किसी शस्त्र, खतरनाक पदार्थ या अन्य तरीकों से जान-बूझकर घाव किया गया हो अथवा गंभीर शारीरिक चोट पहुंचायी गयी हो;

(ड.) विस्फोट, जिसके कारण जान का खतरा अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है;

(च) किसी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करना अथवा रखना जिसका उद्देश्य स्वयं अथवा अन्य व्यक्ति के जरिए जान को खतरा पहुंचाना अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाना हो।

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोला बारूद रखना जिसका उद्देश्य स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के जरिए जीवन को जोखिम में डालना हो;

(ज) सार्वजनिक उपयोग की अथवा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जिसका उद्देश्य जान को खतरा पहुंचाना हो अथवा अन्य व्यक्तियों की जान की बिलकुल चिंता नहीं करना;

(झ) बंधक बनाने सहित अपहरण, अपगमन, झूठी कैद अथवा गैर-कानूनी गिरफ्तारी;

(ञ) हत्या के लिए उकसाना;

(ट) आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध, जिसे अनुरोध के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाता है;

(ठ) उपर्युक्त अपराधों में से किसी के लिए षड्यंत्र करना अथवा उपर्युक्त में से कोई अपराध करना अथवा ऐसा अपराध करने वाले अथवा करने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति का सहयोगी बनना।

अनुच्छेद- छह
प्रत्यर्पण से इंकार करने के आधार

1. किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, यदि:

(क) वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का राष्ट्रिक/नागरिक है;

(ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार आपराधिक अभियोजन आरंभ करने के लिए अथवा सजा पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो जाने के कारणवश प्रत्यर्पण की मांग किया जाने वाला व्यक्ति उन्मुक्त हो गया हो;

(ग) उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप न्याय के हित में सद्भाव से न लगाए गए हो;

(घ) जिस अपराध के लिए वह आरोपी है अथवा सिद्धदोष है, ऐसा सैन्य अपराध है जो सामान्य दंड कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है;

(ड.) प्रत्यर्पित किया जाना अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के विपरीत है।

2. ऐसे व्यक्ति का भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि जिस अपराध के संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू प्रदेश में कार्यवाही की गई होती तो वह पूर्व में हुई दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि से संबंधित अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के विधि सम्मत कानून के अंतर्गत छोड़ दिए जाने का हकदार होता।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पर अनुरोधप्राप्तकर्ता की अदालतों में प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पर उस पक्ष की अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

अनुच्छेद- सात
अभियोजन की बाध्यता

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस संधि के अनुच्छेद छह के पैरा तीन में निर्दिष्ट कारणवश प्रत्यर्पण के किसी अनुरोध को अस्वीकार करता है तो अभियोजन चलाए जाने हेतु वह अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामलों में अभियोजन न चलाए जाने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुरूप पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद- आठ
अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित न करने के परिणाम

इस संधि के अनुच्छेद- छह के पैरा 1(क) के अनुसार, यदि प्रत्यर्पण से इंकार किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष समान अपराध के लिए अपने कानूनों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन प्रारंभ कर देगा। इसके लिए अनुरोधकर्ता पक्ष संबंधित दस्तावेज तथा साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को देगा।

अनुच्छेद- नौ
प्रत्यर्पण तथा अस्थायी प्रत्यर्पण का स्थगन

1. यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा रहा है अथवा वह किसी अन्य अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के राज्य-क्षेत्र में सजा काट रहा है तो मामले की कार्यवाही पूर्ण होने, सजा पूरी होने अथवा रिहाई होने, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जैसा सुझाव दिया जाए, तक के लिए प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से अवधि समाप्त होती है अथवा जांच में बाधा पहुंचती है तो अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

3. अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल पश्चात अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस भेज देना चाहिए।

अनुच्छेद- दस
प्रत्यर्पण प्रक्रिया

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यमों अथवा सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा।

2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगेः

(क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव हुबहू विवरण के साथ ऐसी कोई अन्य सूचना जिससे उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और निवास स्थान निर्धारित करने में मदद मिलेगी;

(ख) उस अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, जिसमें उस अपराध के द्वारा, जिसके लिए कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, हुई क्षति का स्वरूप एवं मात्रा के विषय में सूचना शामिल हो; तथा

(ग) कानून का पाठ निम्नलिखित, यदि कोई हो:

(i) उस अपराध को परिभाषित करने वाला; और

(ii) उस अपराध के लिए सजा निर्धारित करने वाला।

3. यदि अनुरोध किसी आरोपी व्यक्ति से संबंधित है तो उसके साथ अनुरोधकर्ता पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के साथ ऐसे साक्ष्य भी संलग्न होने चाहिए, जिससे कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अनुसार, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राज्य क्षेत्र में यदि वह अपराध किया गया होता तो उस पर मुकदमा चलाया जाना न्यायोचित हो और साथ ही ऐसे साक्ष्य भी होने चाहिए कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति हो जिसका गिरफ्तारी वारंट में संदर्भ है।

4. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो पहले ही सिद्ध दोष है और जिसे सजा दे दी गयी तो इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

(क) दोषी ठहराए जाने तथा सजा दिए जाने का प्रमाण-पत्र;

(ख) यह दर्शाने वाला एक विवरण कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा के संबंध में प्रश्न करने का हकदार नहीं है और यह भी कि कितनी सजा पूरी नहीं हुई है।

5. ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति के संबंध में जो कि अपने मुकदमे के दौरान उपस्थित नहीं था, इस अनुच्छेद के पैरा 4 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस अपराध का आरोपी रहा होगा जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ है।

6. यदि अनुरोधप्राप्तकता पक्ष यह समझता है कि प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अथवा दी गई सूचना इस संधि के प्रयोजनों के लिए , उस अनुरोध पर निर्णय ले सकने में सक्षम होने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा यथावश्यक समय सीमा के अंदर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

7. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने कानूनों और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए शीघ्र उपाय करेगा।

अनुच्छेद- ग्यारह
अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में की, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के राजनयिक माध्यम से अथवा नैशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरनैशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन- इंटरपोल के माध्यम से आवेदन पर वांछित व्यक्ति अनंतिम गिरफ्तारी की जाएगी। इस आवेदन में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने की मंशा निहित होनी चाहिए और गिरफ्तारी का वारंट का अथवा उसके विरुद्ध अभियोग मौजूद हो और यदि उपलब्ध हो तो उसका हुलिया और ऐसी अन्य सूचना, यदि कोई है, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू प्रदेश में किए गए अपराध के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करने अथवा वांछित व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के औचित्य के लिए अनिवार्य होंगे।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष ऐसी अनंतिम गिरफ्तारी की सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष को बिना किसी देरी के देगा।

3. ऐसे आवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त न होने पर, उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की अवधि पूरी होने पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। यह उपबंध, यदि तत्पश्चात अनुरोध प्राप्त हुआ तो वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अगली कार्यवाही से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद- बारह
विशिष्टता का नियम

1. प्रत्यवर्तित किए गए व्यक्ति पर, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति के बिना, उस अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है, से इतर किसी अपराध और उसके प्रत्यर्पण के उद्देश्य से सिद्ध तथ्य द्वारा प्रकट किए गए किसी कमतर अपराध, के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष में न तो मुकदमा चलाया जाएगा अथवा न ही सजा दी जाएगी, न ही ऐसे व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को प्रत्यार्पित किया जाएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति अपेक्षित नहीं होगी, यदि प्रत्यार्पित व्यक्तिः

(क) आपराधिक मुकदमे, सजा काटने किसी कानूनी आधार पर रिहाई की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता पक्ष के भू क्षेत्र को अवसर प्राप्त होने पर भी नहीं छोड़ता। ऐसी अवधि में वह अवधि शामिल नहीं होगी जिस दौरान प्रत्यार्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण से परे कारणों से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के भू क्षेत्र को छोड़कर जाने में असमर्थ रहा।

(ख) एक बार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का भूक्षेत्र छोड़ने पर, स्वैच्छिक रूप से लौटकर आने पर।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ I के उपबंध उस व्यक्ति के अनुरोधकर्ता पक्ष में वापिस लौटकर आने के पश्चात किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में उठे मामलों पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद- तेरह
दस्तावेजों तथा साक्ष्य को मान्यता

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी कार्यवाही में कोई साक्ष्य और सशपथ अथवा अथवा अभिपुष्टि के जरिए लिए गए किसी साक्ष्य और संबंधित दस्तावेजों अथवा किसी दोषसिद्धि के तथ्य का उल्लेख करने वाले किसी वारंट अथवा किसी प्रमाणपत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज को स्वीकार करेंगे:

(क) (i) अनुरोधकर्ता पक्ष के न्यायधीश, मैजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा वारंट के मामले में हस्ताक्षर द्वारा अथवा किसी मूल दस्तावेज के मामले में प्रमाणन द्वारा; और

(ii) किसी गवाह द्वारा या तो शपथ अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के उपयुक्त मंत्री की सरकारी मोहर द्वारा प्रमाणित; अथवा

(ख) ऐसे किसी तरीके से जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के नियमों द्वारा अनुमत्य हो।

2. उस अनुच्छेद के पैरा एक में वर्णित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में अनुमत्य होंगे, चाहे इसके लिए शपथ अथवा इसकी अभिपुष्टि अनुरोधकर्ता पक्ष अथवा किसी तीसरे पक्ष मेंकी गई हों।

3. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक माने गए दस्तावेज दूसरे पक्ष के क्षेत्र में भी साक्ष्य के आधार पर सार्वजनिक माने जाएंगे ।

अनुच्छेद- चौदह
प्रतिस्पर्धी अनुरोध

यदि एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध दोनों में किसी संविदाकारी पक्ष और किसी तीसरे पक्ष जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की प्रत्यर्पण व्यवस्था हो, द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो चाहे वह उसी अपराध अथवा भिन्न अपराध के लिए हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह निर्धारण करेगा कि किस पक्ष को उक्त व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाना है और वह संविदाकारी पक्ष को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

अनुच्छेद पंद्रह
मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत उस अपराध के लिए अपेक्षित व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जा सकता हो, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो किन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून में समान मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान न हो तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष इस प्रकार का आश्वासन नहीं देता जिससे अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह मान ले कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा ।

अनुच्छेद- सोलह
अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण कर दिया गया हो तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष को प्रत्यर्पित व्यक्ति को सौंपे जाने का समय और स्थान अधिसूचित करेगा ।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष 45 दिनों अथवा अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र से हटा लेगा । यदि उक्त अवधि के भीतर उसे नहीं हटाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता उसे उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित और मुक्त करने से इंकार कर सकता है ।

अनुच्छेद सत्रह
संपत्ति सौंपना

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध पर और जहाँ तक उसका कानून अनुमति प्रदान करे, उन वस्तुओं (धनराशि सहित) को ज़ब्त

करके अनुरोधकर्ता पक्ष को सौंपेगा जो अपराध के प्रमाण और साक्ष्य के तौर पर हो सकती हों ।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ एक में उल्लिखित वस्तुओं को उस स्थिति में सौंपा नहीं जाएगा यदि व्यक्ति का प्रत्यर्पण उसकी मृत्यु, भाग जाने अथवा अन्य कारणों से नहीं होता है ।

3. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ एक में उल्लिखित वस्तुएं लंबित आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में अपेक्षित हो तो उनका हस्तांतरण कार्यवाहियों के समाप्त होने तक स्थगित रखा जा सकता है अथवा उन्हें लौटाए जाने की शर्त पर सौंपा जा सकता है ।

4. ये प्रावधान अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अथवा अपेक्षित व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे । इन अधिकारों की मौजूदगी में इन वस्तुओं को कार्यवाहियां पूरी होने के उपरांत बिना किसी प्रभार के यथाशीघ्र अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को लौटा दिया जाएगा ।

अनुच्छेद अट्ठारह
व्यय

1. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में हुए व्ययों का वहन उस पक्ष द्वारा किया जाएगा ।

2. प्रत्यर्पित व्यक्ति के पारवहन पर होने वाले व्यय का वहन अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा ।

अनुच्छेद उन्नीस
भाषाएं

इस संधि का अनुपालन करते हुए पक्ष दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय भाषा के अनुवाद सहित अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषाओं अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे ।

अनुच्छेद बीस
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अंतर्गत बाध्यताएं

वर्तमान संधि उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेंगी जिसके वे पक्ष हों।

अनुच्छेद इक्कीस
अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. कोई भी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यम से संधि को समाप्त करने के अपने आशय की लिखित अधिसूचना देने के माध्यम से इस संधि को समाप्त कर सकता है और यह संधि दूसरे पक्ष द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति के छः महीने के उपरांत प्रभावी नहीं रह जाएगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत होते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

16 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में, हिंदी, रूसी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा के दो-दो मूल पाठों में संपन्न जिसमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय- III के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बेलारूस गणराज्य के संबंध में लागू होंगे।

[फा. सं. टी. 413/20/1999]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

Article 3
Extradition Offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct, which under the laws of each Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. A person who has been convicted of an extradition offence may be extradited if he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of six months or more.

3. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 4
Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

Article 5
The Political Offence Exception

1. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:

(a) offences provided under international treaties/conventions to which both countries are parties;

(b) murder;

(c) manslaughter or culpable homicide;

(d) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(e) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(f) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;

(g) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another persons to endanger life;

(h) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(i) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(j) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

(k) incitement to murder;

(l) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character;

(m) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Article 6
Grounds for Refusal of Extradition

1. A person may not be extradited if:

(a) he is a national/citizen of the Requested Party;

(b) according to the legislation of the Requested Party, the person sought to be extradited has become immune from the criminal prosecution or carrying out of a sentence by reason of lapse of time;

(c) the accusation against him not having been made in good faith in the interests of justice;

(d) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law;

(e) the grant of extradition is contrary to the laws of the Requested Party.

2. A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested Party relating to previous acquittal or conviction.

3. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of the Requested Party.

Article 7
Obligation to prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 3 of Article 6 of this Treaty, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 8
Consequences of non-extradition of own citizens

If according to paragraph 1(a) of Article 6 of this Treaty, extradition is refused, the Requested Party shall initiate criminal prosecution against such person for the same offence according to its laws. For this the Requesting Party shall transfer to the Requested Party the relevant documents and evidence.

Article 9
Postponement of extradition and temporary extradition

1. If the person sought to be extradited is being prosecuted or serving his sentence for another offence in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the completion of proceedings, completion of sentence or his release, which shall be advised to the Requesting Party.

2. If the postponement of extradition may cause lapse of time or impede the investigation, the person can be temporarily extradited at the request of the Requesting Party.

3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested Party immediately after the end of the proceedings of the case.

Article 10
Extradition Procedures

1. The request for extradition under this Treaty shall be made in writing through the diplomatic channels or the competent authorities.

2. The request shall be accompanied by:

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested including information about the nature and size of damage caused by the offence for which extradition is requested; and

(c) the text, if any, of the law :

(i) defining that offence; and

(ii) prescribing the punishment for that offence.

3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting Party and by such evidence as, according to the law of the Requested Party, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested Party, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:

(a) by a certificate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.

5. In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph 4 of this Article as if he had been accused of the offence of which he was convicted.

6. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested Party shall require.

7. Upon receipt of the request for extradition, the Requested Party shall, in accordance with its laws and the provisions of this Treaty, take urgent measures for arrest of the person sought.

Article 11
Provisional Arrest

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested Party, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting Party, made either through diplomatic channels or the National Central Bureau of International Criminal Police Organization – INTERPOL. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested Party.

2. The Requested Party shall inform without delay the Requesting Party about such provisional arrest.

3. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Article 12
Rule of Speciality

1. The extradited person may not without consent of the Requested Party, be prosecuted or punished in the Requesting Party for the offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the fact proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the Requested Party, be extradited to a third State.

2. The consent of the Requested Party is not required if the extradited person:

(a) has not left, though had the opportunity, the territory of the Requesting Party within 45 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his control;

(b) once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of the person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 13
Recognition of Documents and Evidence

1. The authorities of the Requested Party shall admit in any proceedings for extradition, any evidence and related documents taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated:

(a) (i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting Party; and

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting Party; or

(b) in such other manner as may be permitted by the law of the Requested Party.

2. The evidence described in paragraph 1 of this Article shall be admissible in extradition proceedings in the Requested Party whether sworn or affirmed in the Requesting Party or in some third Party.

3. Documents considered as public in the territory of one Party shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Party.

Article 14
Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting Party and a third Party with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine to which Party the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting Party.

Article 15
Capital Punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 16
Surrender

1. If extradition is granted, the Requested Party shall notify the Requesting Party of the time and place of delivery of the extradited person.

2. The Requesting Party shall remove the person sought from the territory of the Requested Party within 45 days or such longer period, which may not exceed 60 days. If he is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence and release the person.

Article 17
Surrender of Property

1. When a request for extradition is granted, the Requested Party shall, upon request and so far as its law allows, seize and hand over to the Requesting Party articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.

2. The articles mentioned in paragraph 1 of this Article shall also be delivered in case the extradition of a person cannot be carried out owing to his death, escape or other reasons.

3. If the articles mentioned in paragraph 1 of this Article are needed in the territory of the Requested Party in connection with pending criminal proceedings, their transfer may be postponed till the completion of the proceedings or they shall be handed over on the condition that they will be returned.

4. These provisions shall not prejudice the rights of the Requested Party or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall be returned to the Requested Party without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article 18
Expenses

1. Expenses incurred in the territory of the Requested Party by reason of the request for extradition shall be borne by that Party.

2. The expenses incurred by reason of transit of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

Article 19
Languages

While complying with this Treaty, the Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Party or in the English language.

Article 20
Obligations under International Convections/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from International Convections/Treaties to which they are Parties.

ARTICLE 21
Ratification and Termination

1. This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

2. Either Party may terminate this Treaty at any time by given a written notice to the other Party through the diplomatic channel of its intention to terminate the Treaty and the same shall cease to have effect six months after the receipt of the notice by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this Treaty.

Done at New Delhi on the 16th day of April 2007, in two originals, each in Hindi, Russian and English, all languages being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Belarus from the dated of the publication of this notification.

[F. No. T 413/20/1999]
P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.